

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोरधन

विपक्षी : श्री मांगीलाल

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 59/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुनार जारी की गई
	<p>दिनांक : 30.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 4 पूर्व में अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में किशना दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम कनीराम है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें किशना व कनीराम को एक ही व्यक्ति होना बताया है। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। वादी द्वारा पहचान स्वरूप आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादी के पिता का नाम कनीराम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा है। तहसीलदार मावली के अनुसार किशना व कनीराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 18, 30, 31, 32, 33 किता 5 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/पति का नाम किशना के बजाय किशना उर्फ कनीराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री गोरधन पिता कनीराम खटीक निवासी खरताणा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता कनीराम खटीक निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्री माधुलाल पिता कनीराम खटीक निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी कनीराम खटीक निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्री उदा पिता माना खटीक निवासी खरताणा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 59 / 19 (वाद) GCMS No. – 2019 / 00122

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 18, 30, 31, 32, 33 किता 5 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/पति का नाम किशना के बजाय किशना उर्फ कनीराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली